

**फर्द अहकाम**

(नियम 26)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी

मुकाम : रावतभाटा

कमला वाई

बनाम गल्लाराम रेवरी

किस्म मुकदमा

बीघ

नं०

28

सन 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
13 <sup>6</sup> / <sub>24</sub>	<p>पत्रावली पेश हुई P.O. साहब राजकार्य से व्यस्त होने से अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 10/03/24 को पेश की जावे। P.O. साहब</p>	
10 <sup>07</sup> / <sub>24</sub>	<p>पत्रावली पेश हुई P.O. साहब मीरिंगमें मित्तो 5216 पधारने से अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 18/7/24 को पेश की जावे। P.O. साहब</p>	
18 <sup>02</sup> / <sub>2024</sub>	<p>पत्रावली पेश हुई P.O. साहब राजकार्य से व्यस्त होने से अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 8/8/24 को पेश की जावे। P.O. साहब</p>	
08 <sup>08</sup> / <sub>2024</sub>	<p>पत्रावली पेश हुई P.O. साहब मीरिंगमें से 3424/24 पधारने से अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 05/09/24 को पेश की जावे। P.O. साहब</p>	
05 <sup>09</sup> / <sub>2024</sub>	<p>पत्रावली पेश हुई। कमील वादी उपस्थित। कमील वादी को प्रतिवादी सं. 2 व 6 के नोटिफ प्रोसेस जरिए शर्जि अड के प्रस्तुत करने के पूर्व में दिनांक 21/09/2022 से अब तक बुल 18 हजार दिए जान के बावजूद भी कमील वादी नोटिफ प्रोसेस प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे इसके अतिरिक्त वे कि कमील वादी को वाद-पत्र-चलान का interest नहीं है अतः कमील वादी का वाद-पत्र इसी स्तर पर CPC के (0) 9(R) 5 के अन्तर्गत कमील वादी द्वारा नए वाक्य लाने में असफल रहने से रकसीज मिया जा रहा है पत्रावली केवल शुक्रार हो जा रजिस्टर के अन्तर्गत भी जाकर शामिल वाक्य (है)। उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)</p>	

